State PENSION Portal

Securing the Social Security
in Madhya Pradesh

Govt. of M.P.

Social Justice & Disability Welfare Dept.

No. of Beneficiaries for Social Security in MP

~35 lakh

Social Security Pensions: Target Groups

Social Security Pensions: Eligibility Attributes

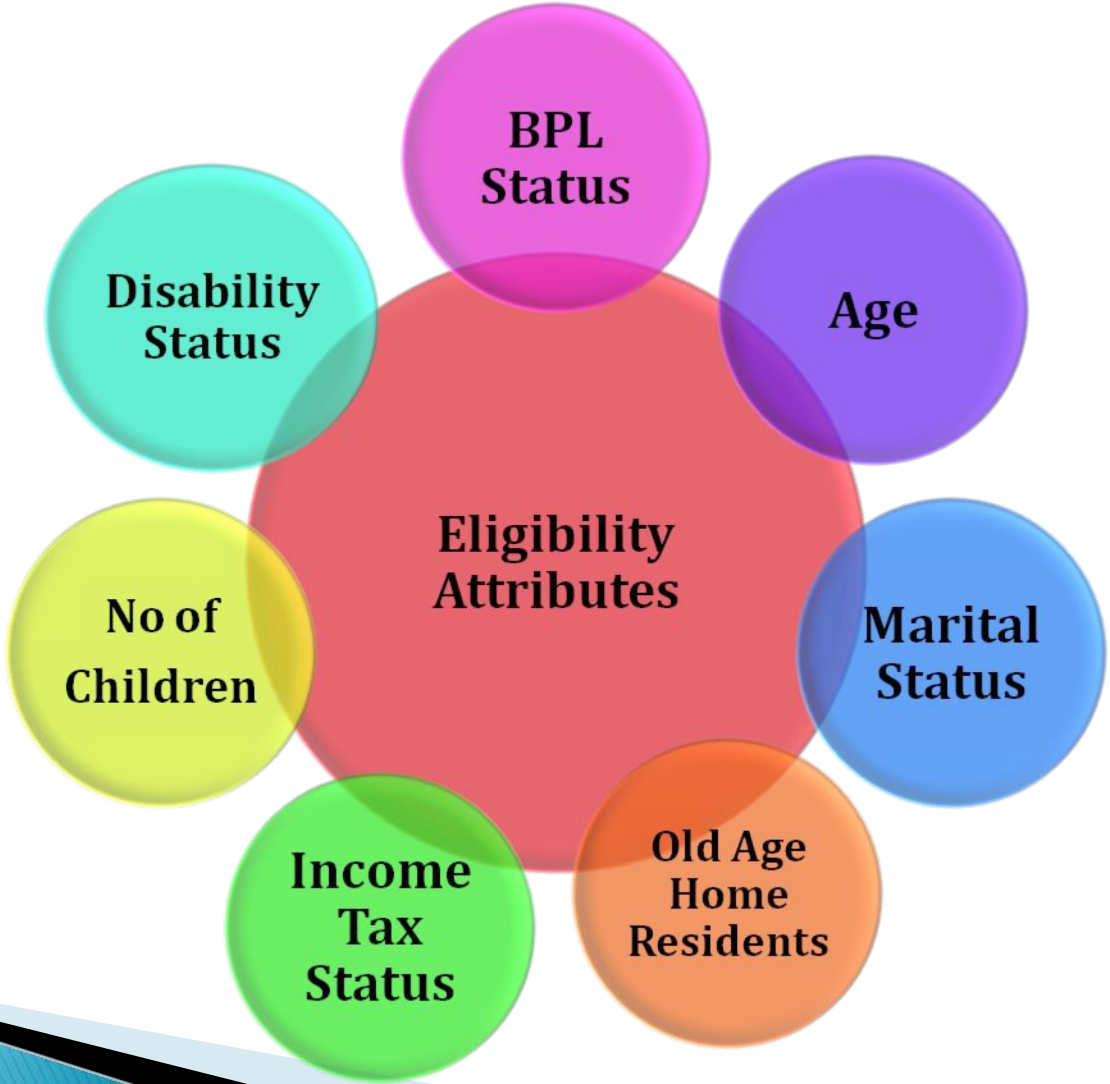

Social Security Schemes- Eligibility

Scheme	BPL	Age	Gender	Disability & %	Pension Amount
IGNOAPS	✓	60-79	F/M	✗	300 (200 +100)
		80+			500
IGNWPS	✓	40-79	F	✗	300
IGNDPS	✓	18-79	F/M	✓ 80%	300
SSP-Old Age	✗	60+	F/M	✗	300
SSP-Widow/ Deserted	✓	18-39	F	✗	300
SSP-PwDs	✓	18-59	F/M	✓ 40%	300
SSP-Shiksha Protsahan (PwDs)	✓	6-18	G/B	✓ 40%	300

Additional Social Security Schemes

	Scheme	Eligibility	Amt (Per / month)
1	Kanya Abhibhavak Pension Scheme	Couple having only girl children, Non Income Tax Payee, 60+	500/-
2	Financial Assistance MR/MD	Mentally Retarded / Persons with Multiple Disabilities, 6+	500/-

Geographic Coverage

- **Entire State**
- **51 Districts**
- **313 Janpad Panchayat**
- **383 Urban Local Body**
- **22,963 GPs**

Scheme-wise Break-up of Beneficiaries

(~35 lakh beneficiaries)

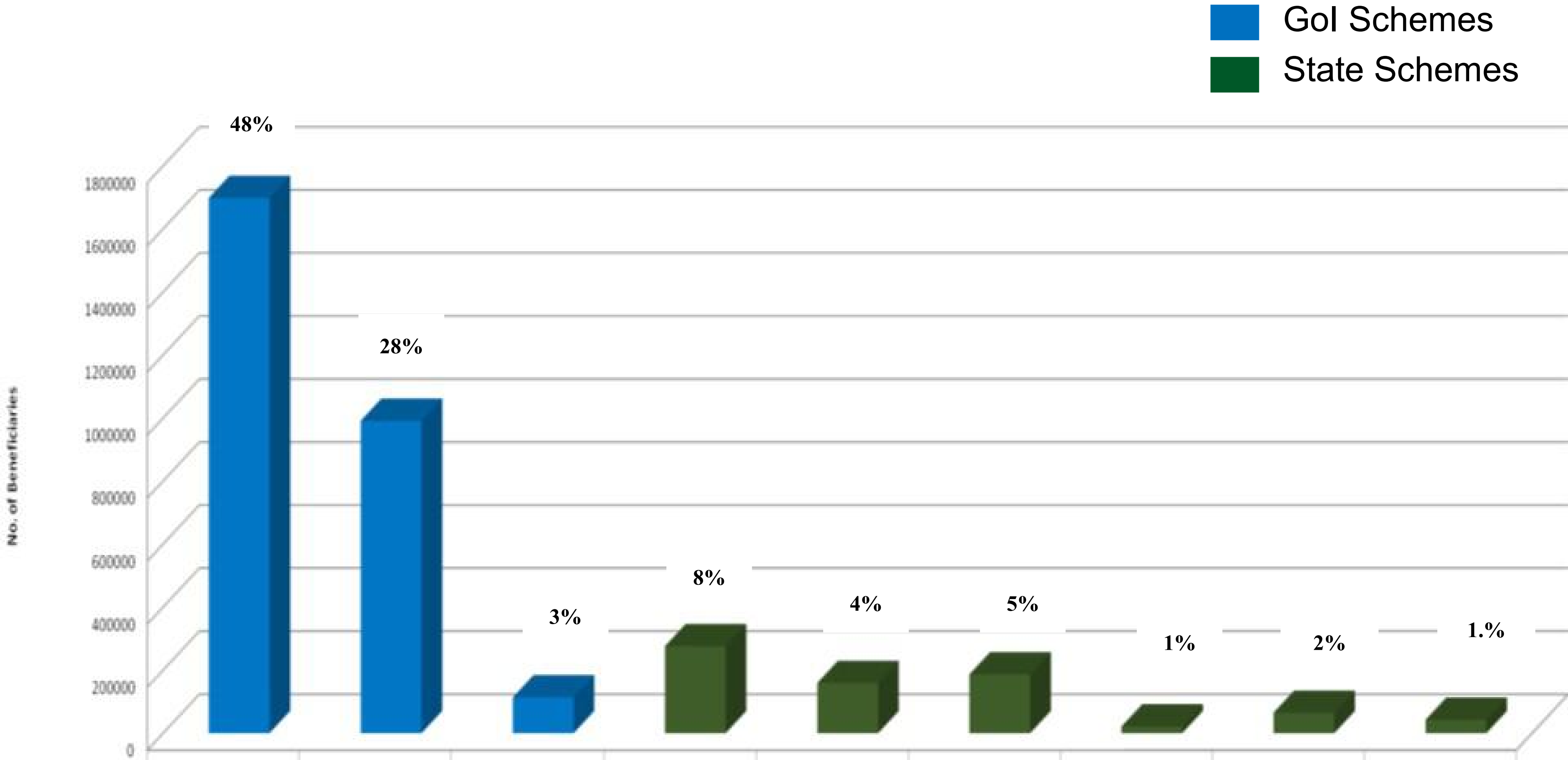

	Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme	Indira Gandhi National Widow Pension Scheme	Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme	Social Security Pension - Old Age	Social Security Pension - Widow/Deserted	Social Security Pension - PwDs	Social Security Pension - PwDs Shiksha Protsahan	Financial Assistance for Mentally Retarded / Persons with Multiple Disabilities	Kanya Abhibhawak Pension
No. of Beneficiaries	1698458	991846	113990	275966	159676	186762	21323	65027	42646

Target - Annual DBT ~1350 Cr

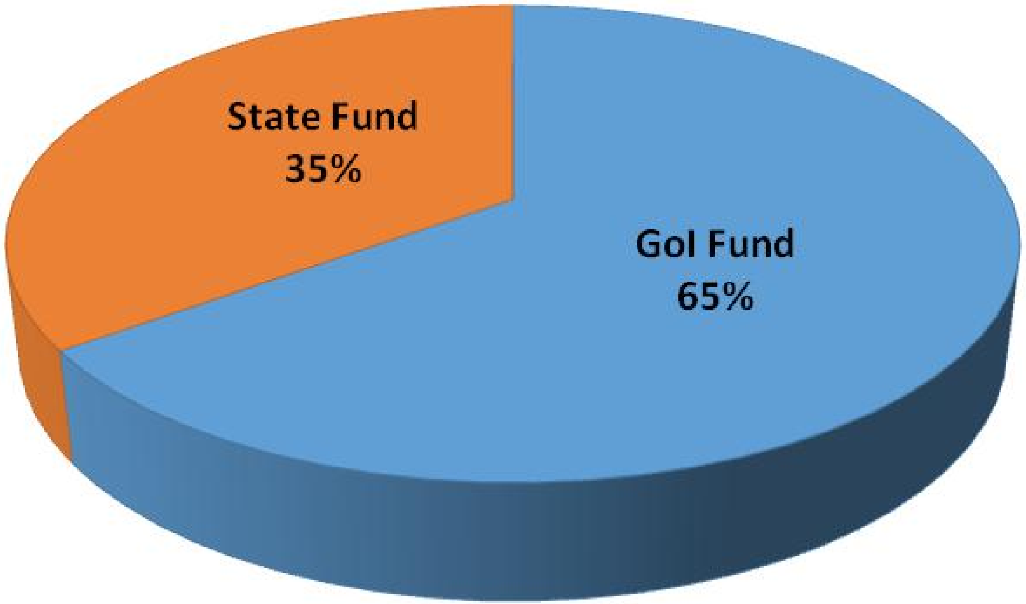

- **Govt. of India fund – Rs. 873/- Cr, No. of Beneficiaries - 28 lakh**
- **State Govt. fund - Rs. 478/- Cr, No. of Beneficiaries - 7.5 lakh**

Issues before

- **Implementation**
  - **Isolated & Manual**
  - **Individual forms, processes for each scheme**
  - **Submission of documents required with each form**
  - **Field verification of the beneficiary for that particular scheme**
- **Sanction of new cases**
  - **Lengthy & manual process**
  - **Discretion and delays in decision making**
  - **Beneficiary Information maintained in voluminous registers**
- **Inclusion, Discontinuation –Manual**
- **Manual preparation of monthly pension bills**
  - **Error prone,   Consumed several man days**

Issues before

- No centralized, integrated and dynamic database - beneficiary
- No mechanism for monitoring
  - Irregular / Delayed payments of pensions
  - Delay in sanction to eligible
- Switching to better schemes ?
- Governance Model - Reactive and Demand based
- Budget -
- Waiting for allotment, Distributed, Under/misutilization
- Possibility of misuse / parking of funds
- Cash / cheque payments
- Multiple bills / Heads : 54 bills prepared by each DDO

  (Total bills 19,656 prepared by 364 DDO in a month)
  - Separate bills for SC / ST / Gen - RLBs, ULBs

Goals - Entitlement based Social Security Assistance

Secure the Social Security

Sanction and disbursal to needy & eligible

- As per their eligibility & entitlement
- In a hassle-free manner
- on the day s/he becomes eligible for scheme

Auto–Switch

- automated and hassle-free switch on the day of eligibility

Goals

Rule-based, error-free, effective & transparent implementation of schemes in a holistic manner

DBT of Pension amount by 5th of every month

Proactive and Entitlement based Governance Model

- Analyze various databases, predict and identify residents who are prima-facie eligible or likely to become eligible for pension schemes.

Ensure effective utilization of budget and financial resources

Identify & weed-out duplicate, fake and non-eligible pensioners

What has been done

Online Portal

- Assistance Calculator
- Online workflows, Modular Approach, on boarded 10 schemes, Integrated platform & database

Intimation for assistance

- Online From public domain
- Mobile app, GP Secretary
- Online Tracking of Status of sanction

Proactive Approach for identification

- Data mash-up: SPR, BPL, PWD & other allied registers
- Technically eligible but NOT getting pensions
- will become eligible after two-months

Sanction

- Rule-based selection and sanction
- Automated generation Sanction Orders
- Digital Repository of Sanction Orders

Monitoring

- Pendency for sanction
- Eligible who has become NON-ELIGIBLE
- Discontinued cases, New sanctions

Online Sanctioned Order

कार्यालय नगर निगम, सागर
सागर (म.प्र.)

पेंशन स्वीकृति आदेश

आदेश क्र. : **14455525 /1/2017** दिनांक : **28/05/2017**

पेंशन योजना: **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना [राशि 300 ₹]**

समग्र परिवार आईडी : **37602996**	समग्र आईडी: **171120130**
हितग्राही का नाम: **MANMOHAN PROHIT**	पिता/पति का नाम:
जन्मतिथि/आयु: **15 Oct 1956 (61 वर्ष)**	
वैवाहिक स्थिति: **विवाहित**	लिंग: **पुरुष**
जाति वर्ग: **सामान्य**	बीपीएल क्रमांक: **1365410**

निवास का वर्तमान पता: **120, Bariyaghatward Zone 1, Nagar Nigam Sagar**

बैंक: **STATE BANK OF INDIA(Bada Bazar, Sagar)[SBIN0009816]**

खाता क्रमांक: ****************17649

विकलांग : : **[नहीं है]**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह आवेदक को पेंशन भुगतान उपरोक्त खाता क्रमांक में करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है|

हस्ताक्षर
(DR. PRANAV KAMAL KHARE)
आयुक्त नगर निगम
मोबाईल नंबर:8966902102

पृ.क्रमांक:14455525 /1/2017 दिनांक: 28/05/2017

प्रतिलिपि-

१.आहरण एवं संवितरण अधिकारी, **सागर** , की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु|
२.श्री **MANMOHAN PROHIT** , की ओर सूचनार्थ प्रेषित|
३.सयुंक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण, जिला **सागर**
४.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला. **सागर**
५.कार्यालयीन प्रति...

PROCESS TO SANCTIONED PENSION & DISBURSEMENT

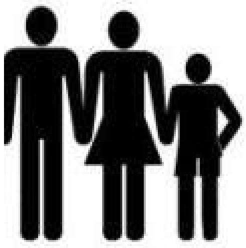

Pension Portal

Online Intimation / request –web/app

Application Sanctioned & Sanction Order

Verify System generated ePOs

Digital Signing of ePO

What has been done

Auto-Switch

- System triggered switch to a better pension scheme , System generated Order

Financial inclusion

- Shift of accounts from Post Office to Core banking branch
- Opening of bank accounts under Jandhan Scheme

Banking Facilities

- Data for identification of shadow areas
- Opening of branches
- SLBC

Aadhaar Number

- Capturing by using mobile App
- Authentication by using mobile app

Field verification

- Mobile App
- Geo-tagged
- Photographs

DBT: Month wise Progress shifting of account to core banking accounts

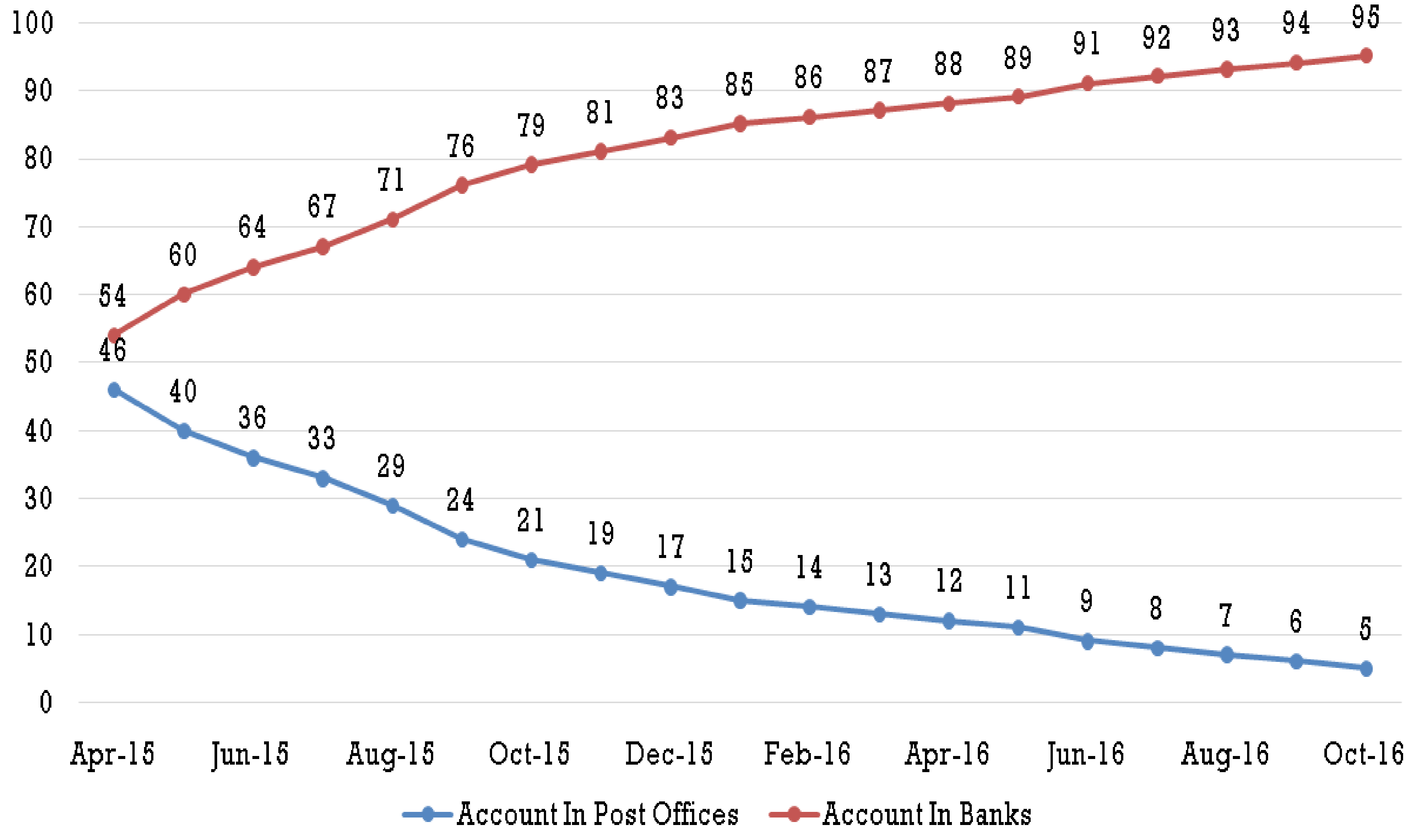

What has been done

Auto-Switch

Multiple Eligibility

Auto-Inclusion

- System triggered switch to a better pension scheme , System generated Order

AUTO-SWITCHING

- **The system knows the Age, BPL status, Marital status and Disability status of residents.**
- **The system identifies the persons that are now eligible for other schemes that will offer them higher pension amount.**
- **Software triggered automated switch from one pension scheme to other scheme with higher pension amount.**

5,85,826 Pensioners AUTO-SWITCHED

Pensioners switched from one pension scheme to other with higher entitlement

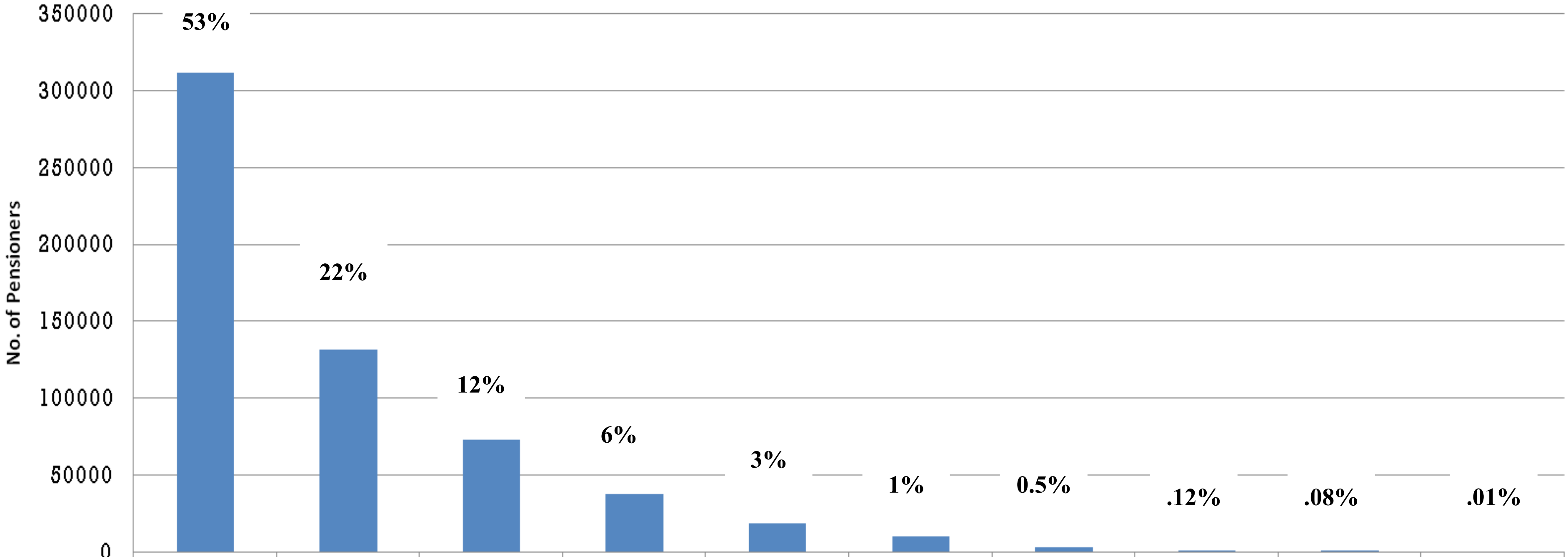

	IGNOAPS (275) to IGNWPS (300)	SSP-Old Age (150) to IGNOAPS (200)	SSP- Widow (150) to IGNWPS (300)	IGNOAPS (200) to IGNWPS (300)	SSP- PwDs (150) to IGNDPS (300)	IGNWPS (300) to IGNOAPS (500)	IGNOAPS (275) to IGNDPS (300)	IGNOAPS (200) to IGNDPS (300)	SSP- Deserted (150) to IGNOAPS (200)	IGNDPS (300) to IGNOAPS (500)
■	311260	131562	72409	37387	18752	10250	2958	688	483	77

Timely Disbursal

Nodal Bank

- End-to-end integration of Portal with banking system

ePOs

- System generated ePOs
- Use of data of pensioners, bank accounts, scheme sanction orders etc. 30 lakhs credit in beneficiaries A/c

DSC Process

- DSC of authorized officers are registered
- System generated ePOs are Digitally Signed

Bank Integration

- Digitally Signed ePos are pushed electronically to bank by back end processes in a automated manner.

Response integration

- Banking System shares response against each beneficiary
- Payment status : Success, fail Code
- Handling of failed transactions

‘m–Pension Mitra’ – Mobile App

Users

- GP Secretary/Ward Officer
- Beneficiary / Pensioner
- Public
- CEO ZP/ Collector / Local Bodies

Features

- Offline Operations
- QR code reader
- Push Notification
- GPS feature
- Application operated Camera
- Geo-tagged / geo-stamped images for verification
- Image compression / resize

‘m-Pension Mitra’ - Mobile App

- **GP Secretary/Ward Officer**
  - Annual Physical verification of pensioners : Geo-tagged images
  - Updation of Profile of pensioner : Mobile, Aadhaar Number, photo, bank account number
  - View list of beneficiaries
  - View sanction orders, verify sanction orders
  - List of persons who are likely to be eligible for pension scheme as per the data
  - Pendency reports for corrective actions / updations
  - Receive push notifications
  - Issue push notifications to pensioners
  - List of discontinued pensioners
  - Report deaths
- **Janpad CEO / ZP CEO / Collector**
  - Monitoring dashboards

‘m-Pension Mitra’ - Mobile App

- **Pensioner / Applicant / Public**
  - View profile of pensioner
  - View pension passbook
  - Know Schemes, Rules
  - Check eligibility
  - Submit Online intimation / request for Pension
  - Track Application Status
  - Download sanction order
  - Verify sanction orders using QR codes
  - Grievances
  - Feedback
  - Information Videos
  - BPL Status, BPL families
  - Beneficiaries, Report non-eligible people

'm-Pension Mitra' - Mobile App

‘m-Pension Mitra’ - Mobile App

Pensions – Outcomes

FROM	TO
Demand- based Service Delivery	**Entitlement-based, Door Step**
Operations - Manual & in Silos, Duplicity of work	**Converged, Online using Integrated database**
Lack of Accountability, Diffused Responsibility	**Single Window & Time - Bound implementation**
Post-facto Programme Review, Opaque	**Real-time, Concurrent Monitoring, Transparency**
Poor Financial Management	**Efficient Utilisation, Globalization**
Discretion & Vagueness in BENEFICIARY Targeting	**Precision in Beneficiary Identification**
Reactive Governance	**Pro-active Governance**
Non-DBT	DBT, ePO,

Next steps

- Aadhar authentication of database
- Aadhar as financial address
- Nodal account at State level
- Sanction without application
- Pension payment at door-steps through Banking Correspondent (BCs)
- **Single click to transfer amount from State.**

Thank you

Direct Benefit Transfer

Pension amount to be sent directly into beneficiaries' a/c

JMC is making all efforts to provide due benefits of all Union and State government run schemes to urban poor. Under these efforts, the civic body is now forwarding benefit amount directly into the account of beneficiaries. The Municipal Corporation has made available the facility of single window for pensioners at its headquarters and all 15 divisional offices.

As per State Government's direction now pension amount will be sent directly into the Bank account of pensioners. Similarly, the JMC has to feed Aadhaar card number, Bank Account number, mobile number, disability certificate (for disabled) of those who have been taking benefits under Indira Gandhi Disabled Social Security Pension, Child Disability and Multiple Disability and Mentally Challenged Grand under Social Security Pension Scheme. Senior officials of JMC has asked beneficiaries to deposit required documents at nearest Divisional Office or room no. 40 Government Scheme Office at JMC headquarters so that information could be fed on Samagra Pension Portal.

Likewise, senior officials informed that the civic body is also facing problem in providing pension to pensioners who do not have bank accounts. Thousands of pensioners are yet to open accounts. JMC has many a times urged these beneficiaries to get their accounts opened. But the pensioners are not taking the request seriously which is hindering the process of transferring pension money directly into their account.

DBT

राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुले खातों में सीधे पहुँचेगा भुगतान

भोपाल, 21 मई. प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत उन्हीं हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा, जिनका समग्र पोर्टल पर सत्यापन किया जा चुका है. राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर एवं जिला मिशन लीडर समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो जिला डिप्टी मिशन लीडर है उन्हें इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश भेजे हैं. निर्देशों में कहा गया है कि समग्र पोर्टल पर सत्यापित ऐसे हितग्राहियों जिनके राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते हैं उन्हें पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाये. इसके अलावा जिन सत्यापित हितग्राहियों के खाते पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंकों में है उनको पेंशन का भुगतान करने के लिए जिला स्तर पर आहरण-संवितरण अधिकारी द्वारा पेंशन राशि आहरित कर नोडल बैंक खातों में रखी जाये. पेंशन योजनाओं की जिला स्तर पर समीक्षा की जायेगी. पेंशन के भुगतान में विलंब न हो उसके लिए जवाबदारी निर्धारित की जायेगी. मृत एवं विस्थापितों को पेंशन का भुगतान न हो इसके लिए भी जवाबदारी निर्धारित होगी. नगर निगम तथा जनपद पंचायत स्तर पर ऐसी पेंशन की राशि जो उनके खातों में अनुपयोगी जमा पाई जायेगी उसका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा.

समग्र पोर्टल पर प्रोएक्टिव गवर्नेंस की कवायद

पेंशन योजनाओं में स्विच होंगे हितग्राही

पीपुल्स स्पेशल

- तीन लाख से ज्यादा हितग्राही अधिक लाभ वाली योजनाओं में हुए शिफ्ट

अनिल सिरवैयां ◆ भोपाल
मोबाइल नं. 9424455625

केंद्र एवं राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को अब अधिक लाभ देने वाली पेंशन योजनाओं के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बने समग्र पेंशन पोर्टल के जरिए पात्रता रखने वाले बुजुर्ग अधिक लाभ वाली योजनाओं में अपने आप शिफ्ट होंगे।

प्रदेश में अब तक तीन लाख 22 हजार से ज्यादा ऐसे वृद्ध योजनाओं में शिफ्ट किए जा चुके हैं। राज्य सरकार समग्र पेंशन पोर्टल के जरिए छह योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। इनमें वृद्धों की आयु के अनुसार अधिकतम 300 और न्यूनतम 150 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है।

कैसे मिलेगा लाभ

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 18 से 39 वर्ष की बीपीएल विधवा महिला को 150 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। 40 वर्ष की आयु होने पर ऐसे हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में स्विच किया जाएगा जिसमें 79 वर्ष की आयु तक 300 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष 64 वर्ष के बीपीएल निःशक्तों को 200 रुपए, 65 वर्ष से 79 वर्ष के निःशक्तों को 275 रुपए पेंशन मिलती है। इनमें 60 से 64 वर्ष के निःशक्तों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना में स्विच किया जाएगा जिसमें 300 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। 65 वर्ष से 79 वर्ष के निःशक्तों को भी इसी योजना 300 रुपए की पेंशन के लिए स्विच किया जाएगा।

कलेक्टरों को निर्देश जारी

सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव एम. मोहन राव के अनुसार छह पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन एनआईसी द्वारा विकसित समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। पोर्टल पर प्रो-एक्टिव गवर्नेंस के तहत एक पेंशन योजना में सत्यापित एवं लाभांवित पेंशन हितग्राही, जो योजना की शर्तों को पूरा कर किसी अन्य पेंशन योजना के लिए पात्र हों तथा अन्य योजना में अधिक लाभ के लिए पात्र होंगे, उन्हें अधिक लाभ वाली पेंशन योजना में स्वतः ही ऑटो स्विच करने की सुविधा पोर्टल पर शुरू की गई है। अधिक लाभ वाली योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को स्थानीय निकायों को किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर इस संबंध में सूचित भी किया है।

Aapki Pension, Aapke Dwar

Aapki Pension Aapke Dwar

पेंशन के पात्र हितग्राहियों को ढूंढने स्कूटी पर निकले मंत्री

दतिया। वृद्धावस्था पेंशन के लाभ से वंचित बुजुर्गों को ढूंढने के लिए पहली बार जिले के अफसर और कर्मचारी स्कूटी पर गली-गली घूमे। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में निकाली गई इस रैली को हरी झंडी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने दिखाई। यह रैली मां पीतांबरा मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंची। इस दौरान करीब 188 वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई।

योजना

एक सप्ताह में सामाजिक सुरक्षा स्कीम से जुड़ें बुजुर्ग, कलेक्टर के निर्देश

बुजुर्गों को घर जाकर दी जाएगी पेंशन

भास्कर संवाददाता | दतिया

सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित चार हजार से अधिक बुजुर्गों तक पहुंचने के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। कलेक्टर मदन कुमार ने इसके लिए तैयारी कर ली हैं। उनका लक्ष्य है कि सात दिन में जिले के सभी पात्र बुजुर्गों को शासन की योजनाओं से जोड़ दिया जाए।

बता दें कि समग्र पोर्टल पर 60 साल से अधिक उम्र के लगभग 15 हजार बुजुर्ग दर्ज है। इनमें से लगभग 11 हजार बुजुर्गों को ही शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। शेष बुजुर्ग इस लाभ

सुरक्षा पेंशन के दस्तावेज देते लोग।

से वंचित हैं। कलेक्टर मदन कुमार ने शेष सभी बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ने का प्लान तैयार किया है।

यह है प्रावधान: सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 60 से 65 साल के बुजुर्गों को 200 रुपए, 65 से 79 साल के बुजुर्गों को 275 रुपए व 79 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपए माहवार पेंशन देने का प्रावधान है।

दे रहे बुजुर्ग का साथ: कलेक्टर ने अभियान के लिए एक लोगो तैयार किया है। जिसके पहले चित्र में बच्चा मां बाप का हाथ पकड़ कर चल रहा है। दूसरे लोगो में बुजुर्ग मां बाप बेटे का हाथ पकड़ कर चल रहे है। कलेक्टर मदन कुमार ने सभी युवाओं से मां बाप का ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि इनके अनुभव जीवन को सरल व सहज बनाते हैं। इसलिए इनका ध्यान रखना हमारा दायित्व है।

कहां कितने बुजुर्ग वंचित

- दतिया नगरीय क्षेत्र में 3143, सेवढ़ा में 264, भांडेर में 168, नप सेवढ़ा में 6, बड़ौनी में 3, भांडेर में 2 व इंदरगढ़ में 1 पात्र हितग्राही शासन का सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित है।
- सोमवार को कलेक्टर मदन कुमार ने पेंशन से वंचित 11 बुजुर्गों की पेंशन स्वीकृत के आदेश कर उन्हें योजना से जोड़ कर अभियान की शुरुआत की। कलेक्टर ने सभी बुजुर्गों को पेंशन से जोड़े जाने का दस्तावेज दिया। मई माह से बुजुर्गों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

आवदेन दिया तो तत्काल मिली पेंशन

दतिया। [illegible] मंदिर के पास रहने वाली रतीदेवी कुशवाहा 70 वर्ष पिछले दो साल से नगर पालिका से विधवा पेंशन न मिलने से परेशान रही थी। मंगलवार को वह जन सुनवाई में कलेक्टर से पेंशन मांगने पहुंची। कलेक्टर मदन कुमार ने वृद्धा के आवेदन को पढ़ने के बाद तत्काल मौके ही पेंशन भुगतान कराने के निर्देश [illegible] को दिए तथा गरीबी रेखा का कार्ड बनवाकर राशन दिलाया। साथ ही वृद्धा रतीदेवी को उनके घर तक छोड़ने के लिए सरकारी वाहन भी भेजा।

जब सरकारी वाहन [illegible] मंदिर में रतीदेवी को छोड़ने आया तो

रतीदेवी को घर छोड़ने जाता सरकारी वाहन।

आवेदन में [illegible] कलेक्टर ने तुरंत [illegible] की। वृद्धा ने कलेक्टर को [illegible] अधिकारी बताया।

कलेक्टर ने दो जगह जलवाए अलाव

मंगलवार को सर्दी से राहत पहुंचाने कलेक्टर मदन कुमार ने [illegible] [illegible] के निर्देश [illegible] शहर में [illegible] अलाव जलवाए।

कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण

निकलेगी वृद्धजन सम्मान रैली, एक हफ्ते में होगा पेंशन प्रकरण का निराकरण

बैठक में कलेक्टर मदन कुमार ने दिए अधिकारियों को निर्देश

भास्कर संवाददाता | दतिया

जिला व ब्लॉक मुख्यालय पर वृद्धों की पेंशन निराकरण के लिए वरिष्ठजन सम्मान रैली निकलेगी। घर घर जाकर पेंशन प्रकरण तैयार कर उनका निराकरण करें। यह काम एक सप्ताह में होना चाहिए। ताकि जिले के सभी पात्र वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा सके। कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत धनंजय मिश्रा ने बताया कि ऐसे वृद्धजन को भी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है, जिनके पास बहुत कम जमीन है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं।

बैठक में वृद्धजन सम्मान रैली को लेकर चर्चा करते कलेक्टर।

500 रुपए देने का है प्रावधान

ऐसे वृद्ध 150 रुपए माह पेंशन के हकदार हैं। उन्होंने बताया कि 60 साल से अधिक व 65 साल से कम उम्र के वृद्धों को 200 रुपए, 65 से अधिक साल के वृद्धों को 275 व 80 साल से अधिक उम्र के वृद्धों को 500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि हम जिले के शत प्रतिशत वृद्धों को शासन की किसी न किसी योजना का लाभ दें। बैठक में अपर कलेक्टर पीएस जाटव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डीके जैन, एसडीएम दतिया वीरेन्द्र कटारे, एसडीएम भांडेर, एसडीएम सेवढ़ा, संयुक्त कलेक्टर एमके जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

लोक सेवा गारंटी के तहत समय पर करें निराकरण

कलेक्टर मदन कुमार ने राजस्व व बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली व राजस्व विभाग की जो सेवा लोक सेवा गारंटी के तहत आती है, ऐसी सेवाओं के तहत अगर आवेदक ने सीधे विभाग में भी आवेदन दिया है तो भी उनका निराकरण लोकसेवा गारंटी के तहत समय सीमा में करें।

Aapki Pension Aapke Dwar

मंत्री ने मशीन चलाई, तो कलेक्टर ने पेंशन बांटी

पेंशन आपके द्वार योजना का समारोह में शुभारंभ

सागर. पंचायत मंत्री मशीन चलाते गए, कलेक्टर हितग्राहियों को पेंशन बांटते रहे।

भास्कर संवाददाता | सागर

पेंशन आपके द्वार योजना के तहत बुधवार को ग्राम पंचायत चनौआ पंचायत भवन परिसर व परासिया पंचायत में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर ने मंत्री को बताया कि मशीन कैसे काम करेगी और इससे ग्रामीणों का क्या लाभ होगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मशीन चलाई तो कलेक्टर ने हितग्राहियों को उनकी पेंशन दी।

मंत्री भार्गव ने कहा कि पहले बैंक माध्यम से पेंशन वितरण का काम होता था। लेकिन दूरस्थ अंचलों के गांव में जहां बैंक नहीं होते थे वहां के पेंशनधारी परेशान रहते थे। लेकिन अब आपकी पेंशन आपके द्वार योजना के माध्यम से घर-घर जाकर इलेक्ट्रानिक मशीन से अब राशन की दुकानों द्वारा एटीएम कार्ड से पेंशन वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब पेंशन 150 रुपए के बढ़ाकर 300 सौ रुपए कर दी गई है। इसका लाभ सितंबर माह से पेंशनधारियों को मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर विकास नरवाल ने कहा कि राशन दुकान पर जिस प्रकार राशन हर माह मिलता है। उसी प्रकार मशीन से पेंशन वितरण की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में 255 मशीनें आ चुकी हैं। लेकिन अभी 15 दिन के अंदर 45 मशीनों के माध्यम से जिले में राशन की दुकानों पर शुरू किया जाएगा। बाकी 255 मशीनों के माध्यम से आगामी दिनों पेंशन वितरण का काम शुरू होगा। इस अवसर पर लघु वन उपज के प्रदेश अध्यक्ष महेश कोरी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अध्यक्ष राजेन्द्र जारोलिया, जनपद अध्यक्ष संजय दुबे, जिला पंचायत सीईओ राजीव रंजन मीणा स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन मौजूद थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने 'आपकी पेंशन आपके द्वार' योजना का किया शुभारंभ

एटीएम कार्ड के माध्यम से वितरित होगी पेंशन

पीपुल्स संवाददाता • सागर
editor@peoplessamachar.co.in

पेंशन आपके द्वार योजना के अंतर्गत बुधवार को ग्राम पंचायत चनौआ के पंचायत भवन परिसर, परासिया पंचायत में राहली ब्लाक अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर पंचायत मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि पहले बैंक माध्यम से पेंशन वितरण का काम होता था लेकिन दूरस्थ अंचलों के गांव में जहां बैंक नहीं होती थी, वहां के पेंशनधारियों को परेशानी होती थी लेकिन अब आपकी पेंशन आपके द्वार के माध्यम से घर-घर जाकर इस इलेक्ट्रानिक मशीन के माध्यम से अब राशन की दुकानों पर सेल्समेन के द्वारा एटीएम कार्ड के माध्यम से पेंशन वितरित की जाएगी। इसमें पेंशनधारी को अब बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा नई तकनीक के माध्यम से वर्तमान सरकारों के द्वारा दी जा रही है। सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई है। जिनका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड और बैंक खाता आम आदमी के लिए अपनी पहचान साबित करने बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से पेंशन का लाभ नगद राशि के रूप में तत्काल खुद पेंशनधारी निकाल सकता है। पंचायत मंत्री ने कहा कि अब पेंशन 150 रुपए के बढ़ाकर 300 सौ रुपए कर दी है। जिसका लाभ सितम्बर माह से पेंशनधारियों को दिया जा रहा है। उन्होंने मौके पर 10 वृद्ध महिलाओं को प्रतीक स्वरूप एटीएम

कार्ड के माध्यम से पेंशन नगद प्राप्त की गई। पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम के द्वौरान कलेक्टर विकास नरवाल ने कहा कि आज वर्तमान समय नई-नई तकनीक का है। जिसके माध्यम से वह पेंशन आज आपको आपके घर इस मशीन के माध्यम से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बैंकों में कार्य अधिक होने के कारण पेंशन विलम्ब से वितरण की शिकायतें, हर गांव में बैंक न होने से पेंशनधारियों को परेशानी का सामना करने पड़ता था। अब इस परेशानी से निजात मिलेगी और आपके घर-घर जाकर वह मशीन एटीएम कार्ड के माध्यम से पेंशनधारी नगद राशि आहरण कर सकता है। यह सुविधा ग्रामीण अंचलों में सुविधा जनक होगी। उन्होंने कहा कि राशन की दुकान पर जिस प्रकार राशन हर माह मिलता है। उसी प्रकार इस तकनीक के माध्यम से पेंशन वितरण का काम समय पर होगा। उन्होंने कहा कि जिले में 255 मशीनें आ चुकी है लेकिन अभी 15 दिवस के अन्दर 45 मशीनों के माध्यम से जिले में राशन की दुकानों पर शुरू की जाएगी। शेष 255 मशीनों के माध्यम से आगामी दिनों पेंशन वितरण का काम शुरू होगा। इस अवसर पर लघु वन उपज के प्रदेश अध्यक्ष महेश कोरी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अध्यक्ष राजेन्द्र जारोलिया, जनपद अध्यक्ष संजय दुबे, जिला पंचायत सीईओ राजीव रंजन मीणा, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या ग्रामीणजन मौजूद थे।

Aapki Pension Aapke Dwar

आपकी पेंशन-आपके द्वार योजना का प्रदेश में

पंचायत मंत्री ने घर-घर जाकर वितरित की पेंशन

हितग्राहियों के घर पहुंचकर पेंशन की राशि व अधिकार पत्र सौंपते पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव।

रहली ■ राज न्यूज नेटवर्क

सामाजिक न्याय विभाग से पेंशन पाने वाले हितग्राहियों की सहूलियत के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई आपकी पेंशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ बुधवार को रहली ब्लाक की परासिया चनौआ ग्राम पंचायत से हुआ। इस अवसर पर पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने कलेक्टर विकास नरवाल के साथ हितग्राहियों के घर घर पहुंचकर पेंशन की राशि प्रदान की एवं उन्हें अधिकार पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया।

शुभारंभ कार्यक्रम परासिया ग्राम के पंचायत भवन परिसर में आयोजित किया गया जहां पर पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव व अन्य अतिथियों ने भगवान श्रीगणेश का पूजन किया। जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों व अधिकारी कर्मचारियों व अन्य ग्रामीणों ने पंचायत मंत्री सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया।

चनौआ ग्राम की गलियों में भ्रमण करते पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव।

कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव।

सफलता श्रेय रहली विस को

इस अवसर पर पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि जिस तरह योजना की शुरुआत रहली विधानसभा से हो रही है उसकी तरह इस योजना की सफलता का श्रेय भी रहली विधानसभा को मिलना चाहिए। पिछले वर्षों के मुकाबले पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की गई है एक सितंबर से पेंशन की राशि 300 रूपए से कम नहीं होगी। साल दो साल बाद इस राशि भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान पेंशन न मिलने की शिकायतें मिलती थीं। जिसके लिए हमने तरीके खोजे। पीएम की इच्छा के अनुसार हर व्यक्ति का आधार कार्ड हो जिसके बाद आधार कार्ड बना, सरकार की मंशा के अनुसार सभी के खाते खुल गए। लाभ की योजनाओं का लाभ अब नगद में नहीं मिलेगा। इससे राशन दुकानदारों को भी लाभ होगा। इसके अलावा राशन दुकानदारों का वेतन भी 5500 रूपए किया गया है।

हितग्राही राशन से पेंशन लेंगे

कलेक्टर विकास नरवाल ने हितग्राहियों को पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि पहले पेंशन प्राप्त करने के लिए हितग्राही कई बार दलालों के चंगुल में फंस जाते थे। बीस रूपए तक दलाल बिचौल भगवाने के नाम पर ले लेते थे। कलेक्टर ने कहा कि अब हितग्राही राशन दुकान से पेंशन प्राप्त करेंगे इससे राशन विक्रेता को भी लाभ होगा। एक हितग्राही की पेंशन प्रदान करने पर राशन विक्रेता को पांच रूपया मिलेंगे और यदि राशन विक्रेता घर घर जाकर पेंशन प्रदान करेंगे तो पांच रूपया और मिलेंगे।

इसके पूर्व कलेक्टर विकास नरवाल ने पंचायत मंत्री को स्वेप मशीन से पेंशन प्राप्त करने की विधि बताई बाद में पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव एवं कलेक्टर विकास नरवाल के समक्ष हितग्राहियों को स्वेप मशीन के माध्यम राशन विक्रेता ने पेंशन की राशि प्रदान की।

ये रहे उपस्थित

इस अवसर पर जिला सीईओ राजीव रंजन मीणा, लघुवनोपज संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश कोरी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजेंद्र आरोलिया, गढ़ाकोटा नपाध्यक्ष भरत चौरसिया, उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, सुरेंद्र क्षीर, बसंत यादव, सुरेश कायस्थ, भरत सेमरा, मंत्री प्रतिनिधि श्रीराम सिंह ठाकुर क्षीर, काशीराम पटेल, जगदीश पटेल, जनपद सीईओ राजेश पटैरिया, प्रदीप पाठक आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में जनपद अध्यक्ष संजय दुबे ने सभी का आभार माना।

ये हितग्राही हुए लाभान्वित

योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रतीकात्मक दस हितग्राहियों को पेंशन की राशि प्रदान की गई। जिनमें भुवानी कुर्मी, लक्ष्मी कुर्मी, गजरानी कुर्मी, प्रेमरानी कुर्मी, रामरानी कुर्मी, रामप्रसाद विश्वकर्मा, सुमतरानी रजक, रामरानी सौर, भगवानदास रजक, अनंदी गौड़ आदि के नाम शामिल हैं।

Aapki Pension Aapke Dwar

'आपकी पेंशन-आपके द्वार' योजना शुभारंभ पर भूपेन्द्र सिंह ने कहा-

'अब पेंशन घर पर मिलेगी'

दबंग रिपोर्टर • सागर

गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मंडी प्रांगण में आयोजित लोक कल्याण शिविर में खुरई विधानसभा क्षेत्र में ''आपकी पेंशन-आपके द्वार '' योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री सिंह ने विधायक निधि से एम्बुलेंस एवं शांति वाहन मालथौन अस्पताल को प्रदान किया।

मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मंडी प्रांगण मालथौन में आयोजित लोक कल्याण शिविर में ''आपकी पेंशन-आपके द्वार'' योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लगातार कोशिश रही है कि शासन की योजनाओं का लाभ लेने में लोगों को परेशानी न हो। इसलिए योजनाओं में पारदर्शिता लाई जा रही है। गरीब लोगों को पेंशन समय पर नहीं मिलना एक बड़ी समस्या थी। इसलिए सरकार ने पेंशन वितरण के लिए यह नई व्यवस्था की है। अब पेंशन आपको घर पर ही मिलेगी। उन्होंने कहा मध्यप्रदेश में इस योजना की शुरूआत सबसे पहले सागर जिले में हुई है।

मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने विधायक निधि से एम्बुलेंस और शांति वाहन क्रय करके आज लोक कल्याण शिविर में उनकी चाबी मालथौन अस्पताल के बीएमओ को सौंपी। उन्होंने कहा कि बीएमओ यह सुनिश्चित करें कि गरीब व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर बिना देर किए यह वाहन उपलब्ध होना चाहिए। मंत्री सिंह ने कहा कि विधायक निधि से मालथौन ग्राम पंचायत के लिए एक फायर लारी भी क्रय की जा रही है।

2278 हितग्राही लाभान्वित

लोक कल्याण शिविर में राष्ट्रीय परिवार सहायता, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना मिशन, दिव्यांगों को उपकरण वितरण, पेंशन प्राधिकार पत्र, कन्या विवाह, भू- अधिकार प्रमाण पत्र, मातृत्व सहायता, लाडली लक्ष्मी योजना, उज्जवला योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रसूति सहायता, पशु शेड, जाति प्रमाण-पत्र, प्राकृतिक आपदा सहायता के 2278 हितग्राहियों को 736.31 लाख रुपए के चैक प्रदान किए गए।

यह रहे उपस्थित

लोक कल्याण शिविर में कलेक्टर , जिला पंचायत सीईओ, जनपद अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष, एसडीएम खुरई, जनपद पंचायत सीईओ, ग्राम पंचायतों के सरपंच, भाजपा के मंडल पदाधिकारी, वरिष्ठ भाजपा नेता, कार्यकर्ता, सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।